

निगम के झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा हुए वायरलैस वॉकी-टॉकी से लैस निगम आयुक्त श्री झारिया निगम सभागृह में किया वॉकी-टॉकी का वितरण

रतलाम 18 दिसम्बर । नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने तथा सफाई संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के उद्देश्य से निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के झोन प्रभारी व 49 वार्ड दरोगाओं को वायर लैस वॉकी टॉकी से लैस किया।

निगम सभागृह में वायर लैस वॉकी-टॉकी झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को प्रदान किये जाने के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने वॉकी-टॉकी उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए निर्देशित किया कि वॉकी-टॉकी का उपयोग स्वयं करें अन्य किसी व्यक्ति या घर का कोई भी सदस्य इसका उपयोग नहीं करेगा। वॉकी-टॉकी को 24 घन्टे चालू अवस्था में रखना अनिवार्य होगा इसके अलावा लम्बी छुट्टी जाने पर वॉकी टॉकी को निगम कार्यालय में जमा कराना होगा। उन्होंने कहा कि सभी को अलग-अलग नम्बर के वॉकी-टॉकी प्रदान किये गये हैं इसलिये एक दूसरे से बदले नहीं इसका विशेष रखा जाये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि निगम के झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओ के वायरलैस वॉकी-टॉकी से लैस होने पर सफाई कार्य पर नियंत्रण होकर प्रतिदिन होने वाले सफाई कार्य की जानकारी प्राप्त होकर कार्य त्वरित गति से होगा साथ ही सफाई संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत का तत्काल निराकरण किया जा सकेगा।

उक्त अवसर पर उपायुक्त कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जो.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एस.पी. आचार्य, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान आदि उपस्थित थे।

खुले में गंदगी करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना मास्क नहीं लगाने पर 52 व्यक्तियों पर जुर्माना नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 18 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 18 दिसम्बर को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर केशव, विनोद, रियाज कृषि उपज मण्डी पर 100, किशन, रमेश महू रोड पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 52 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री

किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 18 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, कालिका माता, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, चांदनी चौक, सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

नगर निगम द्वारा सोमवार से वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

रतलाम 18 दिसम्बर । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1, 2 व 3 के लिये 20 से 21 दिसम्बर तक गांधीनगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 1, 2 व 3 के लिये 22 दिसम्बर को मालवा नगर लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 4, 5, 6, 8 व 13 के लिये 23 से 24 दिसम्बर तक अम्बे माता मंदिर जवाहर नगर, वार्ड क्रमांक 4 व 5 के लिये 27 व 28 दिसम्बर को विनोबा नगर पानी की टंकी के पास, वार्ड क्रमांक 5, 6 व 7 के लिये 29 से 30 दिसम्बर तक अलकापुरी कम्प्यूनिटी हॉल, वार्ड क्रमांक 9 के लिये 31 दिसम्बर को तिरुपति नगर, वार्ड क्रमांक 8 के लिये 1 जनवरी को कोमल नगर मेन रोड, वार्ड क्रमांक 5, 7 व 9 के लिये 3 से 4 जनवरी को मार्निंग स्टार स्कूल, वार्ड क्रमांक 12 के लिये 5 से 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने, वार्ड क्रमांक 12 के लिये 8 जनवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 के लिये 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 के लिये 13 जनवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 14 जनवरी को राजेन्द्र नगर, वार्ड क्रमांक 14, 15, 46 व 48 के लिये 15 व 17 जनवरी को डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर, वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिये 18 जनवरी को वेदव्यास कालोनी, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 19 जनवरी को कल्याण नगर, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22, 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28, 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो

बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

18 दिसम्बर को 78 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 18 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 18 दिसम्बर शनिवार को 78 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

18 दिसम्बर शनिवार को डम्पर से 28560, ट्रेक्टर से 13870, काम्पेक्टर सूखा कचरा 19735 व काम्पेक्टर गीला कचरा 16265 किलो इस तरह कुल 78430 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

6390 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 18 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 18 दिसम्बर शनिवार तक 6390 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 63.75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 18 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के ज्ञान कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 130 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 18 दिसम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 18 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही को जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा

संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 18.12.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.